राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना

वाद संख्या–48 / 2024

दिनेश पासवान बनाम् मनोज कुमार यादव।

इस वाद की सुनवाई दिनांक–26.11.2024, दिनांक–28.01.2025, दिनांक–09.10.2025 तथा दिनांक–10.03.2026 को की गई, जिसमें वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विपिन कुमार सिंह एवं स्वयं श्री दिनेश कुमार पासवान उपस्थित रहे तथा प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार, श्री सनोज कुमार शर्मा एवं सौरभ कुमार वर्मा उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, बेगूसराय की ओर से श्रीमती पूजा प्रीतम, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगूसराय को सत्यापन प्रतिवेदन एवं जिला का पक्ष रखने हेतु प्राधिकृत किया गया।

आयोग के अंतरिम आदेश, दिनांक–13.02.2026 के आलोक में वाद की अंतिम सुनवाई दिनांक–10.03.2026 को की गयी, जिसमें छौड़ाही प्रखण्ड प्रमुख के निर्वाचन हेतु नियुक्त श्री प्रमोद कुमार, निर्वाची पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, मंझौल तथा श्री सोमनाथ सिंह प्रेक्षक–सह–जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, बेगूसराय उपस्थित।

इस वाद में वादी द्वारा दिनांक–27.08.2024 को हुए, छौड़ाही प्रखण्ड, जिला–बेगूसराय के प्रमुख पद के निर्वाचन के संबंध में 02 मुख्य आरोप लगाये गये है, जो निम्नवत् है:–

(i) एक मत जो कि नियमानुसार अवैध होना चाहिए, उसे प्रतिवादी श्री मनोज कुमार यादव के पक्ष में दिया गया मत(Vote) घोषित कर दिया गया, जिससे 'लॉटरी' की स्थिति उत्पन्न हुयी।

(ii) निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रेक्षक द्वारा निष्पक्ष एवं निर्लिप्त भाव से मतदान की प्रक्रिया सम्पादित नहीं करायी।

उक्त आरोपों के सत्यापन हेतु दोनों पक्षों को अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रेक्षक के रूप में प्राधिकृत किये गये, पदाधिकारियों को सभी मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित होने तथा अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया।

2. सुनवाई के क्रम में वादी द्वारा आयोग को बताया गया कि दिनांक–27.08.2024 को छौड़ाही प्रखण्ड, जिला–बेगूसराय के प्रमुख पद के निर्वाचन हेतु आयोग द्वारा तिथि निर्धारित की गई थी। प्रमुख पद के दो उम्मीदवार श्री दिनेश पासवान एवं मनोज कुमार यादव के नामांकन सही पाया गया। उक्त दोनों उम्मीदवारों में से प्रमुख का चयन करने हेतु गुप्त मतदान की प्रक्रिया से प्रमुख का चयन किया गया, परन्तु मतदान प्रक्रिया में निर्वाची पदाधिकारी तथा प्रेक्षक के निष्पक्षता को उनके द्वारा प्रश्नगत किया गया। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रेक्षक द्वारा प्रतिवादी को लाभ पहुँचाने हेतु मत–पत्र पर अभ्यर्थियों के क्रमांक को घोषित किया गया।

उनके द्वारा यह कार्य प्रतिवादी को अप्रत्यक्ष लाभ पहुँचाने हेतु किया गया। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि एक मतदाता(प्रखण्ड पंचायत समिति सदस्य) द्वारा मतपत्र में मनोज कुमार यादव के नाम के समक्ष Cross Mark (x) का अंकण नहीं किया गया। साथ ही साथ प्रेक्षक द्वारा अपने हाव–भाव एवं शब्दों से मतदाताओं को श्री मनोज कुमार यादव के पक्ष में प्रभावित किया गया। उनके द्वारा यह भी दावा किया गया कि मनोज कुमार यादव के पक्ष में एक अवैध मत को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा वैध घोषित किया गया, जिसके कारण उनको प्राप्त मत एवं श्री मनोज कुमार यादव को प्राप्त मत बराबर हो गये, तथा प्रमुख का पद "लॉटरी" के माध्यम से श्री यादव को आवंटित कर दिया गया। उनके द्वारा आयोग को यह भी बताया गया कि प्रतिवादी श्री मनोज कुमार यादव द्वारा उन्हें कई दिनों तक बाहुबल का प्रयोग कर निरूद्ध कर दिया गया था, जिसके कारण वह स्वतंत्र रूप से कहीं आवागमन नहीं कर सकते थे।

3. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त आरोपों को मन–गढ़न्त एवं तथ्यों से भिन्न बताया। उनके द्वारा वादी से यह पृच्छा की गयी कि यदि उन्हें बन्दी बनाया गया था, तो उनके द्वारा F.I.R. क्यों नहीं किया गया। उनके द्वारा आगे बताया गया कि वादी द्वारा संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया गया तथा कभी विरोध दर्ज नहीं किया गया, यहाँ तक की मत–पत्र की वैधता के संबंध में भी उनके द्वारा उस समय गुणावगुण (Merit) पर कोई विरोध दर्ज नहीं किया गया है। मत बराबर होने के उपरांत पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीके से "लॉटरी" की प्रक्रिया पूरी की गई। उनके मुवक्किल के पक्ष में "लॉटरी" का निर्णय सौभाग्यवश प्राप्त हुआ। वास्तव में उनका रोष "लॉटरी" में हार के उपरांत प्रारंभ हुआ।

4. पंचायत समिति के प्रमुख के निर्वाचन से संबंधित विवादों के निपटारा हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006(यथासंशोधित) की धारा–40(4) के आलोक में निर्गत आयोग के पत्र संख्या–विधि–60–36/2007–881, दिनांक–03.06.2009 की कंडिका–19(vii) आलोक में सम्पूर्ण मामले की विवेचना की गयी, तो यह पाया गया कि वादी श्री दिनेश पासवान द्वारा मतदान की तिथि दिनांक–27.08.2024 में की गयी अनियमितता को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को दिनांक–29.08.2024 को विधिवत् लिखित शिकायत दी गयी थी, जो कि आयोग के उक्त दिशा–निदेश की कंडिका–19 के अनुरूप थी, परन्तु जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा उक्त परिवाद–पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी। क्षुब्ध होकर उनके द्वारा दिनांक–02.09.2024 को आयोग में वाद दायर किया गया है, जो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन से संबंधित विवाद के मामले में अपीलीय प्राधिकार है।

5. वादी के दावें के सत्यापन हेतु सर्वप्रथम श्री प्रमोद कुमार, निर्वाची पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, मंझौल को 'सील' किये गये, मत–पत्रों को उपस्थापित करने का आदेश दिया गया, तो यह पाया गया कि निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उपस्थापित मत–पत्र का बाहरी लिफाफा 'सील' बन्द नहीं है, बल्कि उन्हें Stapler से 'पिन–अप' किया गया है। बाहरी लिफाफा का 'विडियोग्राफी' करते हुए, खोला गया, तो यह पाया गया कि अन्दर के जिन 02 लिफाफों में मत–पत्र रक्षित है, वे लिफाफे भी 'सील' बन्द नहीं है, बल्कि उन्हें Stapler से 'पिन–अप' किया गया है। आयोग के दिशा–निर्देशों पत्रांक–8964, दिनांक–18.12.2021 के विरूद्ध रक्षित मत–पत्र के 'सील' बन्द नहीं रहने के कारण मत–पत्र की पवित्रता भंग पायी गयी, जिसके कारण उसका अवलोकन नहीं किया गया, क्योंकि 'सील' बन्द नहीं रहने के कारण यह निर्धारित करना कठिन होगा कि मत–पत्र बदल दिया गया है, अथवा वास्तविक रूप से वहीं मत–पत्र है, जिसके माध्यम से निर्वाचन कार्य सम्पन्न हुआ था। आयोग द्वारा उक्त मत–पत्र एवं लिफाफें को तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिया गया।

6. आयोग द्वारा दोनों पदाधिकारियों अर्थात् निर्वाची पदाधिकारी तथा प्रेक्षक की उपस्थिति में उक्त निर्वाचन से संबंधित 'विडियोग्राफी' का अवलोकन किया गया।

'विडियोग्राफी' के अवलोकन के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी:–

(क) मतगणना में मत–पत्रों को एक–एक कर सभी सदस्यों को नहीं दिखाया गया है, जिससे यह ज्ञात नहीं होता है कि कौन सा मत विधिमान्य है और कौन सा अविधिमान्य। यह आयोग के पत्रांक–विधि–60–36/2007–861, दिनांक–03.06.2009 के कंडिका–12(iv) का उल्लंघन है।

(ख) निर्वाचन परिणाम घोषित करने के उपरांत विधिमान्य एवं अविधिमान्य मत–पत्रों का अलग–अलग पैकेट बनाकर पैकेट का सीलबन्द करना और उसपर उसकी अन्तरवस्तु अंकित करना तथा संबंधित निर्वाचन एवं उसकी तारीख अंकित करना। बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली–2006 के नियम–102 के तहत अनिवार्य है, परन्तु इसका उल्लंघन किया गया है।

इसी प्रकार "लौटरी" के पर्चियों को भी सीलबन्द नहीं किया गया है, जो कि पत्रांक–861, दिनांक–03.06.2009 की कंडिका–12(vi) का उल्लंघन है।

(ग) प्रेक्षक निर्वाची पदाधिकारी के तुलना में अधिक सक्रिय पाये गये, जबकि उनका वैधानिक दायित्व केवल सक्रिय प्रेक्षण के आधार पर आयोग को निर्वाचन प्रक्रिया

की निष्पक्षता एवं निर्धारित प्रक्रिया के अक्षरसः अनुपालन की स्थिति के संबंध में स्वतंत्र एवं गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध कराना है।

(घ) निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मतगणना के समय मत–पत्रों को सभी उपस्थित सदस्यों विशेषकर कर दोनों अभ्यर्थियों को दिखाये बिना रख दिया गया, जबकि प्रत्येक मत–पत्र को अभ्यर्थी को दिखाना पारदर्शिता एवं निष्पक्षता हेतु अपेक्षित है। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा इस प्रकार आयोग के पत्रांक–861, दिनांक–03.06.2009 के कंडिका–12(iv) का अनुपालन सत्यनिष्ठा से नहीं किया गया है।

(ङ.) निर्वाची पदाधिकारी द्वारा श्री दिनेश पासवान की ओर से तत्समय दिये जा रहे आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया, जबकि निर्वाची पदाधिकारी के रूप में आपत्ति को प्राप्त करना तथा विधिवत् निष्पादन करना उनकी वैधानिक जवाबदेही है। इस तथ्य की पुष्टि निर्वाचन तिथि के कार्यवाही प्रतिवेदन से भी होती है, क्योंकि उसमें आपत्ति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि निर्वाची पदाधिकारी द्वारा डाले गये, मत–पत्रों को सुरक्षित रखने के नियमों का जान–बुझकर उल्लंघन कर उनकी पवित्रता को भंग कर दिये जाने के कारण यह निर्धारित करना कठिन है कि क्या वास्तव में एक मत की हेरा–फेरी की गई है, अथवा नहीं, परन्तु परिस्थिति जन्य साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि उनके द्वारा प्रतिवादी को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से निर्वाचन कार्य हेतु निर्धारित 'प्रोटोकॉल', नियमों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया।

साथ ही साथ वादी के दूसरे आरोप भी प्रमाणित है, क्योंकि 'विडियोग्राफी' के अवलोकन से प्रमाणित है कि "प्रेक्षक–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रेक्षक का दायित्व निभाने के स्थान पर निर्वाची पदाधिकारी के कार्यों को करते हुए, दृष्टिगोचर होते है। प्रेक्षक का यह प्राथमिक दायित्व था कि निर्वाची पदाधिकारी द्वारा की जा रही गलतियों/त्रुटियों की तरफ उनका ध्यानाकृष्ट कर उसे नियमानुसार कराने हेतु निदेशित करें, तथा यदि निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उनके निदेश के बावजूद भी नियम विरूद्ध कार्यों का जारी रखते हुए, निर्वाचन सम्पन्न कराया जा रहा था, तो आयोग को प्रतिवेदन अविलम्ब प्रेषित करें, परन्तु प्रेक्षक के द्वारा उक्त दोनों कार्य नहीं किया गया।

आयोग द्वारा पाया गया कि विचाराधीन मामला आयोग के उक्त दिशा–निदेश की कंडिका–19(v)(ग) एवं कंडिका–19(v)(घ) से आच्छादित है। अतएव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन नहीं कराये जाने के प्रमाणित आरोपों के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के पत्रांक–विधि–60–36/2007–861, दिनांक–03.06.2009 के आलोक में कंडिका–19(v)(ग) एवं कंडिका–19(v)(घ) प्रमुख, छौड़ाही प्रखण्ड, जिला–बेगूसराय का दिनांक–27.06.2024 का निर्वाचन

एवं इसका परिणाम, बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006(यथासंशोधित) की धारा–123(1) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन, निरस्त किया जाता है।

इस आदेश के साथ ही प्रमुख, छौड़ाही प्रखण्ड, जिला–बेगूसराय में प्रमुख का पद रिक्त समझा जायेगा तथा इस रिक्त पद पर निर्वाचन हेतु अलग से निर्वाचन की तिथि निर्धारित की जायेगी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को आदेश दिया जाता है कि श्री प्रमोद कुमार, तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, मंझौल तथा श्री सोमनाथ सिंह तत्कालीन प्रेक्षक–सह–जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, बेगूसराय से (1.) बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली–2006 के नियम–102, (2.) आयोग के पत्रांक–विधि–60–36/2007–861, दिनांक–03.06.2009 के कंडिका–12(iv) का उल्लंघन कर पदीय दायित्वों के निर्वहन में तथा (3.) स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन कार्य कराने में कंडिका–(क) से कंडिका–(ड़) में अंकित प्रावधानों के चूक के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए तथा दो सप्ताह के अन्दर मंतव्य सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
04.11.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
04.11.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–48/2024 4325 पटना, दिनांक– 4.11.26

प्रतिलिपि–सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

ज्ञापांक–48/2024 4325 पटना, दिनांक 4.11.26

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, **बेगूसराय**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **बेगूसराय** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

ज्ञापांक–48 / 2024 4325 पटना, दिनांक 4.1.26

प्रतिलिपि–श्री दिनेश पासवान, पिता–श्री परमेश्वर पासवान, ग्राम–एकम्बा, वार्ड संख्या–09, थाना–छौड़ाही ओ0पी0, **जिला–बेगूसराय** एवं श्री मनोज कुमार यादव, पिता–स्व0 सत्य नारायण यादव, ग्राम–बखड्डा, थाना–छौड़ाही ओ0पी0, प्रखण्ड–छौड़ाही, **जिला–बेगूसराय** को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

ज्ञापांक–48 / 2024 4325 पटना, दिनांक 4.1.26

प्रतिलिपि–श्रीमती प्रीति कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

ज्ञापांक–48 / 2024 4325 पटना, दिनांक 4.1.26

प्रतिलिपि–श्री वैष्णव कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी / श्री संजीव कुमार, कम्प्युटर ऑपरेटर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

ज्ञापांक–48 / 2024 4325 पटना, दिनांक 4.1.26

प्रतिलिपि–श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त